<u>अति-महत्वपूर्ण</u>

(संसदीय राजभाषा समिति मामला)

सं. रा.भा.5(14)/आश्वासन-अनु.कार्र./2014/ 53.
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
राजभाषा विभाग, समाहर्तालय,
दीव.
दिनांक :- 01/07/2014.

<u>प रि प त्र / CIRCULAR</u>

विषय : <u>कार्यालय में प्रयुक्त सभी रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं/सेवा अभिलेखों के विषय तथा उनके विभिन्न कॉलमों के शीर्षक हिन्दी में लिखना व हिन्दी में प्रविष्टि करना.</u>

दीव जिला स्थित संघ प्रदेश प्रशासन के सभी कार्यालयाध्यक्षों को मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि 01 जुलाई, 2013 को संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति को निरीक्षण के दौरान यह आश्वासन दिया गया था प्रशासन के कार्यालय में प्रयुक्त हो रहे सभी रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं/सेवा अभिलेखों के विषय तथा उनके कॉलमों के शीर्षक हिन्दी में लिखे जाएंगे । साथ ही साथ सभी रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं/सेवा अभिलेखों आदि में प्रविष्टियां भी हिन्दी में की जाएंगी ।

इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), संसदीय राजभाषा समिति, तीन मूर्ति मार्ग, नई द्वारा जारी दिनांक 02/04/2014 का पत्र सं. 11012/6/2013-समिति-1 भी इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है ।

अतः आप सभी से यह अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने कार्यालयों प्रयुक्त हो रहे सभी रजिस्टरों, सेवा पंजियों आदि के विषय एवं उनके कॉलमों के शीर्षक हिन्दी में लिखें । साथ ही अब उनमें प्रविष्टियां भी अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही करें । यदि आवश्यकता हो, तो अनुवाद अथवा अन्य मार्गदर्शन के लिए तत्काल राजभाषा विभाग, दीव से संपर्क करें ।

01/07/2014

(डॉ. अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (रा.भा.)/
सदस्य सचिव, रा.का.स., दीव.

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रमुख,
दीव जिला प्रशासन, दीव.

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :-</u>

1. माननीय प्रशासक के स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण.
2. सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव, दमण.
3. समाहर्ता एवं जिलाधीश/अध्यक्ष, रा.का.स., दीव.
4. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुम्बई.
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) (मुख्यालय), राजभाषा विभाग, दमण.
7. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, दीव (वेबसाइट पर प्रकाशित के लिए अनुरोध सहित).